न्यायालय अपर समाहर्त्ता, रोहतास (सासाराम)

जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0 – 22/2018

रामबचन सिंह बनाम रामदास पाल

आदेश

26.12.20

आवेदक रामबचन सिंह पिता स्व0 सुरज सिंह साकिन बरावं कला के परिवाद अनन्य सं0 532110109111700826 में पारित आदेश के आलोक में अंचल अधिकारी,डिहरी द्वारा अनुशंसा सहित पत्रांक 270 दिनांक 21.02.2018 से जमाबंदी रद्दीकरण हेतु प्रस्ताव भेजा गया है, जिसमें विवादित भूमि का विवरण इस प्रकार हैः–

मौजा/थाना नं0	खाता नं0	खेसरा नं0	रकबा
बरावं/82	318	320	29 डी0

अंचल अधिकारी द्वारा अपने प्रस्ताव में प्रतिवेदित किया है कि मौजा बरावं थाना नं0 82 के मूल जमाबंदी सं0 318/1 पर खाता सं0 318 में रकबा 0.29 ए0 पूर्व से था। जिसमें कैम्प कोर्ट बरावं कला दिनांक 17.06. 1995 के अनुसार रकबा 0.28 एवं भूमि का जमाबंदी सं0 792/3 पर रैयत रामदास पाल वो व्यास पाल वो प्राण पाल वो आसपती पाल पिता सोहराई पाल साकिन बरावं कला के नाम दर्ज किया गया है। मूल जमाबंदी में मात्र घटाकर रकबा 0.01 ए0 शेष है। दाखिल खारिज वाद सं0 1092/2007–08 के अनुसार 0.01 ए0 का सुधार करते हुए रामकृत भगत पिता जैनन्दन भगत साकिन बरावं कला के नाम से दर्ज किया गया । आवेदक रामबचन सिंह पिता सूर्य सिंह का कहना है कि उनके द्वारा भूमि का बिकी किसी भी रैयत को नहीं किया गया है। । अंचल अधिकारी डिहरी द्वारा पक्षकारों पर नोटिस निर्गत किया गया परन्तु संबंधित जमाबंदीदार द्वारा इस संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया । अतएव अंचल अधिकारी द्वारा जमाबंदी रद्दीकरण हेतु अभिलेख का प्रेषण किया गया है। वाद के विचारण के कम में वादगत जमाबंदी से संबंधित द्वितीय पक्ष को सूचना निर्गत की गयी । सूचना तामिला के बावजुद उपस्थित नहीं हुए। वाद की संवेदनशिलता के मध्येनजर तामिला की सम्पूर्ण प्रकिया सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नोटिश का प्रकाशन न्यायालय के आदेश पत्रांक 105/रा0, दिनांक 24.01.2019 से किया गया परन्तु द्वितीय पक्ष द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे स्पष्ट है कि संबंधित विवादित जमाबंदीदार को प्रश्नगत जमाबंदी के सन्दर्भ अपना दावा के सर्मथन में कोई साक्ष्य नहीं रखना है। अतएव एकपक्षीय सुनवाई हेतु अभिलेख रख गया।

उक्त वाद में इस कार्यालय के पत्रांक 1289 दिनांक 29.06.2018 द्वारा दोनों पक्षों को नोटिस निर्गत किया गया । जिसमें आवेदक द्वारा उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है। आवेदक का कहना है कि उक्त वादगत भूमि केवाला बयनामा के आधार पर दिनांक 01.03.1967 को जगनारायण सिंह से खरीदा गया । जिसका दाखिल खारीज 1972–73 में रामबचन सिंह पिता स्व0 सुरज सिंह के नाम से हुआ और वर्ष 2005 तक लगान रसीद भी निर्गत हुआ है। 1967 के बाद से उक्त वादगत भूमि पर आवेदक का शांतिपूर्ण दखल–कब्जा है। कर्मचारी द्वारा भूलवश कैम्प कोर्ट में 17.06.1995 के अनुसार बीना कोई वाद अंकित किये हुए रामदास पाल व्यास पाल प्राण पाल पिता सोहराई पाल के नाम से रकबा 28 डी0 का जमाबंदी सं0 792/3 कायम कर दिया गया है। आवेदक का कहना है कि उक्त भूमि उसके द्वारा बिकी नहीं की गयी है। अतएव सोहराई पाल के नाम से कायम जमाबंदी रद्द करने का अनुरोध किया गया है।

26/12/21

अंचल अधिकारी डिहरी के प्रस्ताव, आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य एवं विपक्षी को वाद की सुनवाई का सूचना तामिला के साथ सामाचार पत्र के माध्यम से सूचना प्रकाशन के बावजूद विपक्षी की अनुपस्थिति के मध्येनजर जमाबंदी रद्दीकरण वाद स्वीकृत करते हुए आक्षेपित जमाबंदी मौजा बरावं थाना नं0 82 जमाबंदी सं0 792/3 को रद्द किया जाता है।

आदेश से सभी पक्षों को अवगत करा दी जाए।

लेखापित एवं संशोधित।

अपर समाहित्ता,
रोहतास (सासाराम)।

अपर समाहित्ता,
रोहतास (सासाराम)।

ज्ञापांक – 178 / रा०, दिनांक 26/4/21

प्रतिलिपि - अंचल अधिकारी डिहरी को सूचनार्थ अनुपालन हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि - जिला सूचना एवं विज्ञान पदा० (NIC) रोहतास सासाराम को सूचनार्थ एवं जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अपर समाहर्त्ता
रोहतास, सासाराम।